न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 04/2020

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र प्रभात
2. मोहन पुत्र प्रभात
3. सोहनलाल पुत्र प्रभात
4. प्रभात पुत्र बिरदीचन्द

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र प्रभात
2. रेखा पत्नि कन्हैयालाल

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 10.12.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित निम्न सारणी अनुसार भूमि स्थित है:–

क्र0स0	खसरा नम्बर	रकबा(है0)
1	1129/3574	0.05
2	1130	0.05
3	1132	1.04
4	1133	0.73
5	1133/3578	0.28
6	1134	0.01
7	1135	0.03
8	1136	0.23
	कुल किता 8 का कुल रकबा 2.42 हैक्टेयर	

उक्त उल्लेखित सारणी में वर्णित कुल खसरा किता 8 का कुल रकबा 2.42 हैक्टेयर भूमि व विद्युत कनेक्शन स्थित है। जो इस वाद में विवादित भूमि है। जिसे आगे के मदो में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

उक्त विवादित भूमि में वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण भाग निहित है तथा जिसका उपयोग उपभोग कर रहा है तथा सरकारी लगान अदा करता आ रहा है तथा उक्त भूमि मय विद्युत कनेक्शन श्री ओमप्रकाश पि0मु0 हनुमान जाति ब्राहम्ण, निवासी कालाडेरा से दिनांक 15.01.2000 को जरिये रजिस्ट्रर्ड सैल डीड से क्रय कर उक्त दिवस को ही कब्जा प्राप्त वादीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त विद्युत कनेक्शन से सिंचाई करते है।

वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि में पुख्ता मकानात वादीगण के स्थित है प्रतिवादीगण वादीगण के परिवारजन है [illegible] वादीगण की खरीदशुदा स्वामित्व की भूमि पर लटठ के [illegible] प्रयास करते है तथा करते है तथा आये दिन लडाई झगडा [illegible] करने का प्रयास

प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 2 [illegible] कब्जे काश्त की भूमि पर आ गये [illegible] होकर वादीगण की कटावट निकालने लगे, जिस पर वादीगण ने मना किया तो य[illegible] मारपीट पर उतारू हो गये। जिससे वादीगण को वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है।

अतः वाद वादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि :–

(क) प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्ध करवाये कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 2 मद सं. 1 में वर्णित भूमि व विद्युत कनेक्शन के उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 16:01:10 IST
Reason: SelfAttested

उपभोग में मजाहमत व मदादखल नहीं करें तथा विद्युत कनेक्शन के साथ छेडछाड नहीं करें तथा विवादित भूमि पर ना ही कब्जा करे।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज ररिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट कालाडेरा में पेश हुई। वादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1129/3574, 1130, 1132, 1133, 1133/3578, 1134, 1135, 1136 कुल किता 8 का कुल रकबा 2.42 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 16:01:10 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन (I.A.S)

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र प्रभात
2. मोहन पुत्र प्रभात
3. सोहनलाल पुत्र प्रभात
4. प्रभात पुत्र बिरदीचन्द

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र प्रभात
2. रेखा पत्नि कन्हैयालाल

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :–14/2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुद्दई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तथा तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1129/3574, 1130, 1132, 1133, 1133/3578, 1134, 1135, 1136 कुल किता 8 का कुल रकबा 2.42 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.12.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 16:01:10 IST
Reason: SelfAttested

नोट:–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।